

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
कमांक:प.8(ग)(23)नियम/डीएलबी/19/11767-77

दिनांक : 20/5/22

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना कमांक 20224 दिनांक 04.10.2018 जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 15.10.18 को हुआ है को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है एवं यह स्पष्ट किया जाता है कि नगर परिषद, बालोतरा में प्रदूषण जन्य व्यवसाय कर/वसूली नगरपालिका, बालोतरा (प्रदूषण जन्य व्यवसाय कर) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुरूप की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक : 20/5/22

कमांक:प.8(क)(23)नियम/डीएलबी/19/11767-77
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज.जयपुर।
03. जिला कलक्टर, बाडमेर
04. सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल राजस्थान जयपुर।
05. सभापति, नगर परिषद, बालोतरा।
06. अध्यक्ष, जल प्रदूषण नियंत्रण, परिसोधन एवं अनुसन्धान फाउण्डेशन बालोतरा।
07. आयुक्त, नगर परिषद बालोतरा।
08. अध्यक्ष, राजकीय केन्द्रीय लेखन मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राज पत्र में प्रकाशन करने एवं 10 प्रतियां प्रस्तुत कराने हेतु प्रस्तुत है।
09. अध्यक्ष, बालोतरा ई.टी.पी. एसोसिएशन बालोतरा जिला बाडमेर।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
11. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी